राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर म.प्र.

क्रमांक/एनएचएम/निविदा/2026/293 अनूपपुर दिनांक 27-01-26

जिले के अंतर्गत जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य संस्थाओ मे मोबिलिटी सपोर्ट वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा वर्ष 2025–26 हेतु आमंत्रण सूचना

ई–निविदा प्रक्रिया का विवरण

क्र.	निविदा प्रक्रिया का विवरण	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर, जिला चिकित्सालय एवं विकासखण्ड स्तर पर बी.एम.ओ. एवं आर.बी.एस. के टीम हेतु मोबिलिटी सपोर्ट वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में
1.	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन क्रय हेतु उपलब्धता	शासकीय निविदा पत्र का मूल्य राशि 1000/– (एक हजार) मात्र है, जो ई–टेण्डर की वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देय होगा कोई भी समस्या आने पर ई–टेण्डर के हेल्पलाईन नम्बर या कार्यालय के दूरभाष क्र. 07649–222647,7999744307, 9993005372 पर संपर्क करें।
2.	ऑनलाईन निविदा जारी करने का दिनांक	15-05-2026 दोपहर 03:00 बजे
3.	ऑनलाईन निविदा कय करने का एवं जमा करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	15-05-2026 दोपहर 03:00 बजे
4.	ऑनलाईन निविदा जमा करने का अंतिम तिथि एवं समय	25-05-2026 शायं 05:00 बजे
5.	तकनीकि निविदा खोले जाने का दिनांक एंव समय	26-05-2026 दोपहर 04:00 बजे
6.	वित्तीय निविदा खोले जाने का दिनांक एवं समय	दोपहर 04:00 बजे

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला अनूपपुर म.प्र.

निविदा में सफल होने के लिए निविदाकर्ता को निम्न अर्हताए अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी।

1	फर्म/संस्था का कार्यालय का वैध स्थापना (गुमारता) पंजीयन होना चाहिए ।
2	निविदाकर्ता के पास फर्म अथवा प्रोपराईटर का पेनकार्ड होना चाहिए ।
3	निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी (GST) पंजीयन होना चाहिए । जी.एस.टी. पंजीयन न होनें की स्थिति में छूट संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4	निविदाकर्ता को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी शासकीय, अर्द्ध–शासकीय अथवा केन्द्र शासित संस्था द्वारा प्रतिबंधित/ब्लेकलिस्टेड नहीं किया गया तथा संस्था के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है ।
5	निविदाकर्ता के साथ राशि रू. 1,00,000/– (रू एक लाख मात्र) ऑनलाईन धरोहर राशि के रूप में जमा करनी होगी। MSME निविदाकार को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी। सफल निविदाकर्ता को अनुबंध के साथ सुरक्षा निधि के रूप में परफॉरमेंस राशि रूपये 10% FDR जमा करना होगी। निविदा अनुबंध की अवधि एक वर्ष होगी जिसे सुविधानुसार दोनो पक्षो की सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
6	परिशिष्ट 'अ' घोषणा–पत्र संलग्न करे।
7	1. निविदाकर्ता का विगत् वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग व GST क्लीयरेन्स होना चाहिए। किसी भी तरह के ड्यूज होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा । (आयकर एवं GST Clearance छायाप्रति संलग्न करें) । 2. निविदाकर्ता का विगत् 03 वर्षो का औसत टर्नओवर कम से कम25 लाख का होना चाहिए। सी.ए. द्वारा प्रमाणित UDIN सहित प्रमाण पत्र संलग्न करें। 3. वाहन का पंजीयन यदि 01 जनवरी 2022 से पुराना अथवा 50,000 कि.मी. से ज्यादा होगा, मान्य नहीं किया जा सकेगा और यदि प्रदाय किया जाता है तो देयक में 10 प्रतिशत कटौत्रा करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को सुरक्षित रहेगा। 4. किसी परिस्थितिवश टेंडर में स्वीकृत दर का वाहन नहीं मिलता है और अन्य मॉडल या ब्रांड/निर्माता कंपनी का वाहन प्रदाय किया जाता है तो वाहन का मॉडल, कंडीशन व ब्रांड/निर्माता कंपनी के आधार पर निगोशियेशन करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को सुरक्षित रहेगा।
8	निविदाकर्ता के पास स्वयं के नाम से अथवा अनुबंधित वाहन होना चाहिए।
9	टैक्सी कोटा के अंतर्गत वैध आरटीओ पंजीकरण होना चाहिए तथा ईपीएफओ (EPFO) पंजीकरण के साथ पिछले छह (06) माह की ईपीएफ चालान प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोटः– निविदाकर्ता द्वारा उक्त दस्तावेज ई–निविदा में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदाकर्ता का आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

–: निविदा शर्ते :–

1. निविदाकर्ता से सम्बंधित समस्त वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिए ।
2. निविदाकर्ता के पास महिन्द्रा बोलेरो/टाटा सफारी/टोयोटा इनोवा अथवा समतुल्य गाड़ी होना चाहिए।
3. निविदाकर्ता को वाहन के साथ वैध रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं गाड़ी से सम्बंधित सभी दस्तावेज हमेशा वाहन में रखने होगें। किसी भी वैधानिक कार्यवाही होने पर समस्त जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी ।
4. निविदाकर्ता को वाहन के साथ प्रशिक्षित ड्रायवर निर्धारित युनिफार्म, जिसके पास वैद्य लायसेंस हो, जिनका व्यवहार सौम्य, मधुर हो, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, को उपलब्ध कराना होगा। वाहन चालक के चरित्र सत्यापन एवं पुलिस वेरीफिकेशन की समस्त जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी । यदि वाहन चालक का चरित्र संदेहास्पद पाया जाता है तो निविदाकर्ता को तत्काल उसे परिवर्तित करना होगा ।
5. निविदाकर्ता को मासिक एवं दैनिक आधार पर ए.सी.वाहन निर्धारित संख्या में मांग अनुसार हमेशा दुरूस्त (फिटनेस) हालत में उपलब्ध करवाना होगा। वाहन एवं वाहन चालक के समस्त वैद्य दस्तावेज, वाहन व्यवस्था के प्रभारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने होगें । वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा जमा कराई गई परफॉरमेंस राशि में से रू 1000/– (रू. एक हजार मात्र) प्रतिदिवस के मान से प्रति वाहन जुर्माना राशि का कटोत्रा किया जावेगा ।
6. निविदाकार्ता को वाहन खराब होने की स्थिति में 2 घण्टे के भीतर सम्बधिंत अन्य वाहन आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा वाहन उपलब्ध न कराने पर राशि रू 200/– प्रतिघण्टा के मान से प्रति वाहन का कटोत्रा किया जावेगा।
7. अनुबंधित वाहन आवंटित अधिकारी के पास 12 घन्टे उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा । निविदाकर्ता को आवंटित अधिकारी के पास प्रतिदिन निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध कराना होगा । वाहन पर पदस्थ वाहन चालक का यह दायित्व होगा कि प्रतिदिन ओपनिंग एवं क्लोसिंग माईलोमीटर रीडिंग संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराई जानी होगी ।
8. वाहन से सम्बंधित समस्त मेन्टेनेन्स (टूट–फूट, डीजल/पेट्रोल, बैटरी, टायर आदि) की संपूर्ण जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी ।
9. निविदाकर्ता द्वारा दैनिक आधार पर उपलब्ध–कराये गए वाहन कि लॉग–बुक स्पष्ट रूप से (उपयोग किये गये कि.मी. समय, दिनांक, स्थान) भरकर संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा । लॉग–बुक में कॉट–छाट/ओवर राईटिंग मान्य नहीं की जावेगी।
10. निविदाकर्ता द्वारा मासिक एवं दैनिक आधार पर उपलब्ध कराये गये वाहनों का औचक निरीक्षण मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त दल द्वारा समय–समय पर वाहनों का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण में पाई गई शिकायतों/कमियों का निविदाकर्ता द्वारा निराकरण समय–सीमा में किया जाना होगा। निराकरण न किये जाने की स्थिति में प्रति निरीक्षण के मान से जुर्माना राशि 1000/– रूपये का कटोत्रा किया जावेगा।
11. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी वाहनों के वाहन चालाकें के लिये निविदाकर्ता को 'ठेकेदार श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) म.प्र. नियम 1973 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
12. निविदाकर्ता को वाहन के देयक प्रतिमाह की 02 तारीख तक लॉक–बुक (आवंटित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित) जो कि स्पष्ट रूप से भरी गई हो, के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
13. GST का भुगता शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पृथक से देय होगा। GST/Income Tax TDS का नियमानुसार कटौत्रा किया जावेगा।
14. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन को शहर में अथवा शहर के बाहर ले जाने पर टोल/टैक्स/पार्किंग की रसीद देयक के साथ प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा। वाहन चालक के वेतन एवं अन्य समस्त भत्तों के व्यय की पूर्ण जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी ।
15. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों में किसी भी प्रकार की गड़बडी होने पर (यथा–गाड़ी की रीडिंग बढ़ाये जाने/माईलोमीटर में गड़बडी किये जाने एवं वाहन चालक के कार्य एवं व्यवहार की शिकायत) एवं शिकायत होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियुक्त दल द्वारा शिकायत की पुष्टि पाये जाने पर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अनुबंध निरस्त करने की कार्यावाही की जावेगी एवं संस्था को ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

16. निविदाकार्ता द्वारा अपनी ई–निविदा के वित्तीय दर पत्रक में राशि अंको में दर्शाना होगी।
17. एक समान दर की एक से अधिक निविदायें प्राप्त होने की स्थिति में क्रमशः निम्नानुसार निर्णय लिया जावेगा :–

17.1 –सर्वप्रथम निविदाकर्ताओं के ई–निविदा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

17.2 यदि क्र 17.1 समानता पाई जाती है तब ई–निविदा में प्रस्तुत वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के औसत टर्नओवर अधिक होने के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

17.3 अनुबंध अवधि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त दोनो पक्षों की सहमति के आधार पर अनुबंध प्रारंभ दिनांक तथा समय एवं अनुबंध की वैधता तिथी का दिनांक/समय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

18. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों में से किसी भी वाहन को हटाने, परिवर्तित करने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
19. ई–निविदा में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की स्कैन कॉपी सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए, प्राप्त दस्तावेज पठनीय न होने की जवाबदारी निविदाकर्ता की रहेगी।
20. सफल निविदाकर्ता यदि अनुबंध कराने से पूर्व ही कार्यालय से अपना प्रस्ताव वापस लेता है अथवा नियत अवधि में अनुबंध नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एवं ब्लैकलिस्ट घोषित करते हुये प्राप्त निविदाओं में से अगले न्यूनतम दर (एल–2) से एल–1 की दर पर कार्य कराने हेतु अनुबंध कराया जावेगा ।
21. निविदाकर्ताओं को निविदा खोले जाने की अंतिम दिनांक तक एवं समय से पूर्व धरोहर राशि ऑनलाईन जमा करानी होगी ।
22. निविदा के न्यूनतम दर का निर्धारण प्रत्येक कार्य के एल–1 दर के आधार पर पृथक–पृथक निर्धारित किया जावेगा।
23. किसी भी विवाद का निपटारा करने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।
24. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी शासकीय, अर्द्ध–शासकीय संस्था अथवा केन्द्रशासित संस्था द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड के आशय का शपथ पत्र यदि गलत पाया जाता है अथवा शिकायत की पुष्टि होती है तो संस्था का निविदा आवेदन/अनुबंध को समाप्त कर, उसकी धरोहर राशि राजसात कर अगले न्यूनतम दर एल–2 से एल–1 की दर पर कार्य कराया जावेगा ।
25. प्राप्त निविदायें मान्य करने, अमान्य करने, निरस्त करने, का पूर्ण अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा, किसी भी विवाद की स्थिति में प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार के अनुक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
26. निविदाकर्ता द्वारा समस्त शर्तो का पालन करते हुए, यदि कार्य संतोषजनक रहता है, तो कार्य अवधि स्वीकृत दरों पर अधिकतम 01 वर्ष के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दोनों पक्षो की सहमति होने की दशा में वृद्धि की जा सकेगी।
27. वित्तीय अथवा प्रशासकीय कारणों से निर्मित किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र अनूपपुर रहेगा।
28. निविदाकर्ता निविदा के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करें। निविदा आमंत्रण ऑनलाईन टेण्डर की वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता हैं, जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय BOQ में जानकारी दर्ज करना होगा।

29 मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 800 किलोमीटर की सीमा को आधार माना जायेगा। इस हेतु प्रतिदिन किराये की वाहन की उपलब्धता हेतु समय भी निर्धारित किया जावेगा। जो 12 घंटे से अधिक न हो। निविदा दर भी इसी आधार पर प्रस्तुत की जावेगी। 800 किलोमीटर प्रतिमाह से अधिक वाहन चलने पर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर हेतु निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर निर्धारित किया जायेगा।

30 आवश्कतानुसार कार्य व्यवस्था को देखते हुये समय–समय पर अतिरिक्त वाहन ऑनकाल के आधार पर उपलब्ध कराया जाना होगा। ऑनकाल वाहन की दर निविदा मे प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट "अ"

घोषणा–पत्र

क्र.	फर्म / संस्था	विवरण
1	निविदाकर्ता फर्म / संस्था का नाम	
2	निविदाकर्ता फर्म / संस्था का पता	
3	दूरभाष क्रमांक / मोबाईल नं.	
4	फर्म / संस्था का ई–मेल आई.डी.	
5	फर्म / संस्था का स्थापना (गुमास्ता) पंजीयन क्रमांक	
6	संस्था / प्रोपराईटर का पेन कार्ड नम्बर	
7	फर्म / संस्था का जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक	
8	फर्म का औसत टर्न ओवर	
9	धरोहर राशि रू. 1,00,000 / – (रू एक लाख मात्र) का ऑनलाईन विवरण	
10	वाहनों के दस्तावेज संलग्न है	हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि ई–निविदा शर्तें पढने एवं समझने के पश्चात् ही निविदा की तकनीकि अर्हताऐं कंडिकाओं को मैं / मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पूर्ण रूपेण सत्य है इसमें किसी भी त्रुटि / लापरवाही / गलत जानकारी / जानकारी छिपाने अथवा सम्बंधित दस्तावेजों के ई–निविदा में संलग्न न करने पर निविदा अमान्य अथवा निरस्त की जाती है तो इसके लिये मैं / संस्था जिम्मेदार होगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की सीठ

विभाग में मोबिलिटी सपोर्ट हेतु आवश्यक वाहनो की संख्यात्मक विवरणः–

मांक	अधिकारी का पद (जिनको आवंटित किया जावेगा)	वाहन की संख्या	रिमार्क
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	01	
2	जिला स्वास्थ्य अधिकारी 1,2	02	
3	जिला टीकाकरण अधिकारी	01	
4	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	01	
5	जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी ड्यूटी हेतु वाहन	01	
6	प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी	04	
7	जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई	01	
8	आर.बी.एस.के. टीम	05	
9	सी.पी.एच.सी. सलाहकार	01	
10	जिला क्षय अधिकारी	01	
	कुल योग	**18**	

ोटः– आवश्कतानुसार कार्य व्यवस्था को देखते हुये समय–समय पर अतिरिक्त वाहन ऑनकाल के आधार पर) की आवश्कता होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by RAMSEWAK AHIRWAR
Date: 2026.05.15 14:05:08 IST
Location: Madhya Pradesh-MP